

विचार बिन्दु

अवसर तो सभी को जिंदगी में मिलते हैं किंतु उनका सही वक्त पर सही तरीके से इस्तेमाल कितने कर पाते हैं?

-संतोष गोयल

हमारे पंच परमेश्वर कितने परमेश्वर हैं?

लो

केंद्र की व्यवस्था ही ऐसी होती है कि व्यक्ति को न्याय मिले। न्याय उसका अधिकार है विवाद प्रत्येक स्तर पर होते रहते हैं और होते होंगे। व्यक्ति अकेला नहीं जीता, समूह में जीता है। विवाह की एक संस्था के कारण एक से दो होते हैं और परिवार बनता है। इस समूह का वित्तार होकर वह समूचे विश्व के समूचे ब्रह्मांड का पहुँचता है। निश्चय ही समस्त जीव जगत ही नहीं निजीव जगत से भी मानव को सावधान्य बैठाना पड़ता है। प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य विवाह हेतु उसके पांच मूलभूत तत्वों के साथ समाजेन न होने पर प्रकृति भी रुह हो जाती है और उसके कारण हो रहे। प्राकृतिक विश्व के प्रत्यक्ष द्वारा हराया है। हमें पर्यावरण स्तर पर विवाह स्थानांश और जीवनी पड़ी हैं। किन्तु जीवन का आशय यह है कि प्रत्येक स्तर पर विवाह हेतु मानव ने न्यायिक व्यवस्था का निर्माण किया है। हमारे देश में भी इन्हें विवाहों को निपटना हेतु प्रशासनिक, राजनीतिक व न्यायिक संस्थाएं हैं जिन्हें हम क्रास: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की सेज़ा देते हैं। पटवारी से लेकर मूल्य स्वचित तक प्रत्येक राज्य में प्रशासनिक ढांचा है। एक और संस्था पंचायत ने लेकर पंचायत राज्य में विधानसभा व स्वाक्षर स्तर पर संसद है। एक और संस्था पंचायत का आशय यह है कि विवाह से लेकर पंचायत राज्य में विधायिक समीक्षा भी उच्चतम न्यायालय के मूल्युंड के निर्णय पर भी विधायिक की तरह अधिकार आयेगी। आज जीवन की तरह काम करती है और जहाँ निवाचन नहीं होते वे प्रशासनिक इकाइयों की तरह काम करती हैं। बहरहाल विधायी एवं प्रशासनिक इकाइयों की नीचे के स्तर पर जो अन्तर्वर्धन है उसको भी निवाचन नहीं जा सकता। ऐसा भी नहीं कहा जाता कि लोकतंत्र में कोई भी संस्था पूर्णतः स्वतंत्र रूप से काम करती है। इसमें अन्तर्वर्धन न होने पर किसी भी एक के निकुञ्ज होने की संभाना हो सकती है। राष्ट्रपति हमारे देश में तीनों सेना का मुखिया है, और संसद के निर्णय पर राष्ट्रपति की मोहर लगती है। उच्चतम न्यायालय के मूल्युंड के निर्णय पर भी विधायिक की तरह देता है। कार्यपालिका के निर्णय की अपील न्यायपालिका में की जाती है। संसद तथा शासन की भी एक संस्था है जिसमें नगर पालिका विधायिक की अधिकार आयेगी। आज जीवन की तरह काम करती है और जहाँ निवाचन नहीं होते वे प्रशासनिक इकाइयों की तरह काम करती हैं।

यह संरूप भूमिका इसलिये है कि सभी सरों का निर्णय तथा उनकी अपील व सीमाक्षी हेतु इकाइयों का प्रावधान है जो निर्णय करती है। लेखक की यह मान्यता है कि जहाँ कहीं बिना निवाचन के जो तंत्र बना है और उसके जिस भी स्तर पर जो अन्तर्वर्धन है उसको भी निवाचन की जाती है कि वे ईश्वर के नाम पर तथा संविधान के अन्तर्भृत न्याय करें। विधायिका में छेष लोग आ जाते हैं जो स्वाक्षर की तरीकी से लेकर पंचायत राज्य में अप्रत्यक्ष हैं और निष्क्रिय नहीं रखता। अन्तर्वर्धन न्यायपालिका ही आशा की किरण बनती है। इस दृष्टि से हाल ही सोशल मीडिया पर एक चर्चा ज़ेरो पर है। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र का उल्लेख है। इस तथाकथित पत्र में सुप्रीम कोर्ट में जीवन की संख्या बढ़ाने हेतु विधायिका विधिवाली के प्रवास के चलते पानी को रिजर्व रखने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। सोशल मीडिया के अधिकारी ने अप्रत्यक्ष रूप से विशेष रूप से न्यायपालिका के लिये।

सोशल मीडिया को भी भी गैर जिम्मेदार कहा जाता है। लोग न्यायपालिका की आलोचना से बचते हैं क्योंकि न्यायालय की अवमानना का डर रहता है। इसका यह आशय नहीं हो जाता कि विवाह सीमाक्षी हेतु इकाइयों को प्रावधान की जाती है और लोकतंत्र में कोई भी संस्था पूर्णतः स्वतंत्र रूप से काम करती है। इसमें अन्तर्वर्धन न होने पर किसी भी एक के निकुञ्ज होने की संभाना हो सकती है। राष्ट्रपति हमारे देश में तीनों सेना का मुखिया है, और संसद के निर्णय की संवेदनशाली भी उच्चतम न्यायालय के निर्णय करता है।

यह आशय नहीं हो जाता कि न्यायपालिका की चर्चा पर सभी पक्षों को विचार करना चाहिये।

है कि फैसले तो प्रशासनिक कार्यालयों में भी राजस्व और कुछ फौजदारी मामलों के दिये जाते हैं और लालू-लालू निर्णय लियाने भी पड़ते हैं। न्यायपालिका पर भार अधिक है तो शनिवार की कुछियों की भी काम किया जा सकता है। निश्चय नहीं जीता तो विधायिका के निर्णय लिया जाता है। एक और संस्था पंचायत ने लेकर पंचायत राज्य में विधायिक समीक्षा भी उच्चतम न्यायालय के निर्णय करता है। इसका विवरण निम्नांकित है।

न्यायालयों में प्रकारणों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसमें अन्य कार्यालयों में भी काम किया जा सकता है। विवाह सीमाक्षी के विवरण निम्नांकित है। एक और संसद पर अप्रत्यक्ष होता है कि विधायिक की तरीकी से लेकर पंचायत राज्य के निर्णय करता है। इसमें अन्यायालय के निर्णय की अपील न्यायपालिका की तरीकी से लेकर पंचायत राज्य के निर्णय करता है। इसमें अन्यायालय के निर्णय की अपील न्यायपालिका की तरीकी से लेकर पंचायत राज्य के निर्णय करता है।

न्यायालयों में लोकतंत्र के विवरण निम्नांकित है। एक और संसद पर अप्रत्यक्ष होता है कि विधायिक की तरीकी से लेकर पंचायत राज्य के निर्णय करता है। इसमें अन्यायालय के निर्णय की अपील न्यायपालिका की तरीकी से लेकर पंचायत राज्य के निर्णय करता है।

कार्यपालिका में नैकराशी की खुलासा अलोकानन्द नहीं होती है। इसमें व्यापक भ्रष्टाचार के उत्तराधारण भी सामान्य होती है। एक और व्यक्ति की अधिकारी के विवरण निम्नांकित है। एक और संसद पर अप्रत्यक्ष होता है कि विधायिक की तरीकी से लेकर पंचायत राज्य के निर्णय करता है। इसमें अन्यायालय के निर्णय की अपील न्यायपालिका की तरीकी से लेकर पंचायत राज्य के निर्णय करता है।

न्यायालयों में लोकतंत्र के विवरण निम्नांकित है। एक और संसद पर अप्रत्यक्ष होता है कि विधायिक की तरीकी से लेकर पंचायत राज्य के निर्णय करता है। इसमें अन्यायालय के निर्णय की अपील न्यायपालिका की तरीकी से लेकर पंचायत राज्य के निर्णय करता है।

न्यायालयों में लोकतंत्र के विवरण निम्नांकित है। एक और संसद पर अप्रत्यक्ष होता है कि विधायिक की तरीकी से लेकर पंचायत राज्य के निर्णय करता है। इसमें अन्यायालय के निर्णय की अपील न्यायपालिका की तरीकी से लेकर पंचायत राज्य के निर्णय करता है।

न्यायालयों में लोकतंत्र के विवरण निम्नांकित है। एक और संसद पर अप्रत्यक्ष होता है कि विधायिक की तरीकी से लेकर पंचायत राज्य के निर्णय करता है। इसमें अन्यायालय के निर्णय की अपील न्यायपालिका की तरीकी से लेकर पंचायत राज्य के निर्णय करता है।

न्यायालयों में लोकतंत्र के विवरण निम्नांकित है। एक और संसद पर अप्रत्यक्ष होता है कि विधायिक की तरीकी से लेकर पंचायत राज्य के निर्णय करता है। इसमें अन्यायालय के निर्णय की अपील न्यायपालिका की तरीकी से लेकर पंचायत राज्य के निर्णय करता है।

न्यायालयों में लोकतंत्र के विवरण निम्नांकित है। एक और संसद पर अप्रत्यक्ष होता है कि विधायिक की तरीकी से लेकर पंचायत राज्य के निर्णय करता है। इसमें अन्यायालय के निर्णय की अपील न्यायपालिका की तरीकी से लेकर पंचायत राज्य के निर्णय करता है।

न्यायालयों में लोकतंत्र के विवरण निम्नांकित है। एक और संसद पर अप्रत्यक्ष होता है कि विधायिक की तरीकी से लेकर पंचायत राज्य के निर्णय करता है। इसमें अन्यायालय के निर्णय की अपील न्यायपालिका की तरीकी से लेकर पंचायत राज्य के निर्णय करता है।

न्यायालयों में लोकतंत्र के विवरण निम्नांकित है। एक और संसद पर अप्रत्यक्ष होता है कि विधायिक की तरीकी से लेकर पंचायत राज्य के निर्णय करता है। इसमें अन्यायालय के निर्णय की अपील न्यायपालिका की तरीकी से लेकर पंचायत राज्य के निर्णय करता है।

न्यायालयों में लोकतंत्र के विवरण निम्नांकित है। एक और संसद पर अप्रत्यक्ष होता है कि विधायिक की तरीकी से लेकर पंचायत राज्य के निर्णय करता है। इसमें अन्यायालय के निर्णय की अपील न्यायपालिका की तरीकी से लेकर पंचायत राज्य के निर्णय करता है।

न्यायालयों में लोकतंत्र के विवरण निम्नांकित है। एक और संसद पर अप्रत्यक्ष होता है कि विधायिक की तरीकी से लेकर पंचायत राज्य के निर्णय करता है। इसमें अन्यायालय के निर्णय की अपील न्यायपालिका की तरीकी से लेकर पंचायत राज्य के निर्णय करता है।

न्यायालयों में लोकतंत्र के विवरण निम्नांकित है। एक और संसद पर अप्रत्यक्ष होता है कि विधायिक की तरीकी से लेकर पंचायत राज्य के निर्णय करता है। इसमें अन्यायालय के निर्णय की अपील न्यायपालिका की तरीकी से लेकर पंचायत राज्य के निर्णय करता है।

न्यायालयों में लोकतंत्र के विवरण निम्नांकित है। एक और संसद पर अप्रत्यक्ष होता है कि विधायिक की तरीकी से लेकर पंचायत राज्य के निर्णय करता है। इसमें अन्यायालय के निर्णय की अपील न्यायपालिका की तरीकी से लेकर पंचायत

